वीडियो कान्फ्रेन्स
दिनांकः 10 फरवरी, 2020
संख्या– 06/2020/203/31-2020-12/2017टी0सी0

प्रेषक,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2020

विषयः–अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांकः 10 फरवरी, 2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्याः 04/2020/177/ 31-2020-12/2012 दिनांकः 04 फरवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा 03 वर्षों में महत्वपूर्ण योजनाओं पर की गई उपलब्धियों की जनपदवार एवं विधान सभावार कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट upkkv.in पर डेटा फीडिंग कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांकः 10 फरवरी, 2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से योजना भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या–110 से वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है।

कृपया उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में पूर्ण तैयारी के साथ यथासमय स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं सहायक निदेशक, सूचना/जिला सूचना अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या– 06/2020/203(1)/31-2020-12/2017टीसी तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांकः 10 फरवरी, 2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से योजना भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या–110 से आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में स्वयं प्रतिभाग कर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु यथावश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तापक्षर की आवश्यकतानहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in